<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

<u>निगरानी/टीए/5682/2024/ब्यावर</u>
रिषभ कांकरिया बनाम मैसर्स गोवर्धन प्रोपर्टीज</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
</table>

<u>एकल–पीठ</u>

डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य

<u>उपस्थित :</u>

श्री शान्ति प्रकाश ओझा, अभिभाषक प्रार्थीगण

श्री धर्मेन्द्र टांक, अभिभाषक अप्रार्थीगण

<u>निर्णय</u>

1– हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–230 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12–10–2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– निगरानी ज्ञापन अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88, 188 बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थीगण एवं अन्य अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। उक्त वाद दर्ज करने के पश्चात पत्रावली में तलबी की गई जिसमें प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 13 सूचना के बाद उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध दिनांक 09–02–2022 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी संख्या 6 से 10 के सही पते के नोटिस पेश करने के निर्देश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 7 से 10 जो वर्तमान प्रतिवादीगण है, उनकी वर्तमान में पाली रहने की रिपोर्ट आई। दिनांक 03–08–2022 को प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण को उनके चाचा/देवर नरेन्द्र कांकरिया ने न्यायालय में दावा होने की जानकारी देने पर उन्होंने वकालतनामें पर हस्ताक्षर कर उनको दे दिया था। प्रार्थीगण को कभी भी कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ और अपनी ओर से प्रार्थीगण द्वारा कोई अभिभाषक नियुक्त नहीं किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा नसरत बानो अभिभाषक द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत करवा दिया गया लेकिन इसकी जानकारी वर्तमान प्रार्थीगण को नही थी। और न ही प्रार्थीगण स्वयं के अभिभाषक नियुक्त किया था। दिनांक 12–10–2022 को उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर ने प्रार्थीगण का जवाब बन्द कर दिया जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को नही हुई तथा उक्त पत्रावली प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र खारिज होने पर माननीय न्यायालय में नियत रही। तत्पश्चात प्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा दिनांक 23–01–2024 को नो इंस्ट्रेक्शन प्लीड कर दिया, जबकि प्रोसडिंग में नो ऑब्जेक्शन अंकित कर रखा है। न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 7 से 10 को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये थे। अन्य प्रतिवादीगण की जवाब दावा बन्द करने में निगरानी प्रस्तुत हुई जो स्वीकार कर पत्रावली पुनः 06.02.2024 को दर्ज की गई। पत्रावली प्रार्थीगण के नोटिसो में नियत रही, तत्पश्चात उक्त कार्यवाहियों का पता चलने पर प्रतिवादी संख्या 7 से 10 ने एक प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी प्रस्तुत कर जवाब दावा को रिकॉर्ड पर लिये जाने हेतु प्रस्तुत किया, जिसे उपखण्ड अधिकारी एव पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर ने सरसरी मेनर में दिनांक 08–07–2024 को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टीए/5682/2024/ब्यावर</u>** **रिषभ कांकरिया बनाम मैसर्स गोवर्धन प्रोपर्टीज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खारिज कर दिया तथा मौखिक कहा कि आपका पूर्व में जवाब दावा बन्द किया गया है वह अन्तिम है इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर दिनांक 12-10-2022 द्वारा जवाब दावा बन्द करने बाबत पारित उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी मंडल न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। **3-** उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई। **4-** विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि प्रार्थीगण को विद्वान उपखण्ड अधिकारी एव पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर के समक्ष विचाराधीन वाद में नोटिस तामील हुये एवं ना ही प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना अभिभाषक नियुक्त किया था। प्रार्थीगण का वकालतनामा प्रतिवादी संख्या 6 श्री नरेन्द्र कांकरिया को उनके द्वारा उक्त वाद का विचाराधीन होना अवगत कराये जाने के कारण दिया गया था, जिन्होंने प्रतिवादी की ओर से कोई पैरवी नही की तथा जवाब दावा बन्द हो जाने की भी सूचना नही दी। उपरोक्त वस्तुस्थिति में जवाब दावा प्रस्तुत नही हो सकता इसलिये जवाब का अवसर दिया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त वाद में आगे चलकर प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण के अभिभाषक ने दिनांक 23-01-2024 को नो इस्ट्रेक्शन प्लीड किया जिस पर न्यायालय द्वारा उन्हें पुनः नोटिस जारी करने का आदेश प्रदान कर दिया। उक्त बाबत् जानकारी होने पर प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी दिनांक 08-07-2024 को प्रस्तुत कर उनकी और से जवाब दावे को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया जो नॉन स्पीकिंग व कारण रहित आदेश से खारिज कर दिया गया तथा मौखिक रूप से यहा कहा कि जवाब दावा बन्द करने का आदेश अन्तिम है इसलिये जवाब दावा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता है। उपरोक्त पत्रावली में विभिन्न निर्णयों पर माननीय न्यायालय में निगरानी संख्या 324/2023 नरेन्द्र कांकरिया बनाम मैसर्स गोरधन प्रोपर्ट्रीज में निगरानी की गई है जिसे माननीय न्यायालय द्वारा 1000 रूपये कोष्ठ पर स्वीकार किया जाने के आदेश प्रदान किये। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर को भी उदार रूख अपनाते हुये जवाब दावे का मौका देना चाहिये था लेकिन उन्होंने जवाब का अवसर प्रदान नहीं किया है। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एव पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर के द्वारा प्रार्थीगण का जवाब दावा बन्द करने के पारित आदेश दिनांक 12-10-2022 को निरस्त फरमाया जावे एव उन्हें जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जावे। **4-** उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को जवाब दावा प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर प्रदान दिये जाने के पश्चात भी उनके द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04-10-2022 को प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को स्पष्ट तौर पर जवाब दावा प्रस्तुत करने का अन्तिम अवसर दिया गया, परन्तु प्रकरण को लम्बा करने की मंशा रखने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/5682/2024/ब्यावर** **रिषभ कांकरिया बनाम मैसर्स गोवर्धन प्रोपर्टीज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की नीयत से जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया, जिससे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12–10–2022 को प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का जवाबदावा हक बन्द कर दिया जो कि विधिसम्मत है। अतः प्रस्तुत निगरानी खारिज योग्य है। **5–** अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के साथ आलौच्य निर्णय का अवलोकन व अध्ययन किया गया। **6–** अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन दावे में प्रार्थीगण के नोटिस जारी होने पश्चात दिनांक 11–7–2022 को प्रार्थी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 7 न्यायालय में उपस्थित हुये थे तथा न्यायालय द्वारा उन्हें वाद पत्र की प्रति दी जाने का आदेश किया था। दिनांक 03–8–2022 को प्रतिवादी संख्या 7 से 10 की ओर से अभिभाषक नसरत बानो द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत होने तथा उन्हें न्यायालय द्वारा आवश्यक रूप से जवाब दावा प्रस्तुत करने का निर्देश भी आदेशिका में अंकित है। दिनांक 12–10–2022 को प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 7 से 10 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें वादपत्र की प्रति न मिलने तथा जवाब हेतु समय चाहने का उल्लेख कर जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु और अवसर देने का निवेदन किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर उनकी जवाब दावा स्टेज बन्द कर दी गई। उक्त तथ्यपरक स्थिति के विश्लेषण अनुसार हालांकि प्रार्थीगण को निर्णय से पूर्व दावे की जानकारी न होने का तथ्य पुष्ठ होना प्रतीत नहीं होता है, लेकिन दावे के न्यायसंगत निस्तारण हेतु प्रार्थीगण को भी अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया जाना हम न्यायसम्मत मानते है। **7–** अतः विवेचन अनुसार निर्णय स्वरूप हस्तगत निगरानी स्वीकार की जाकर प्रार्थीगण को दो हजार रूपये विलम्ब शुल्क पर जवाब दावा प्रस्तुत करने का एक अवसर और प्रदान किया जाता है, जिस पर प्रार्थीगण आवश्यक रूप से अपना जवाब प्रस्तुत कर देवें। विलम्ब शुल्क विचारण न्यायालय में अदा किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। उभय पक्ष <u>**दिनांक 25–8–2025**</u> को सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के न्यायालय में उपस्थित रहने हेतु सूचित रहें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)** **सदस्य**	